

गूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 में नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान

ब इजलास श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)

सतनाम सिंह बनाम् सुखराज कौर वगैरह

दावा बाबत्- 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं.-21/2023

जीसीएमएस नं.-2023/57

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू पक्षकारान बहाजरी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य हुए राजीनामा चक 4 एस जे एम (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.-15 पत्थर सं.-256/380 के किला नं.-1 ता 25 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर कुल भूमि 6.325 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि रकबा का मुताबिक राजीनामा निम्नलिखित प्रकार से खाता विभाजन किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाकर निर्णित किया जाता है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	मु.नं. व प.नं.	किलानम्बर	रकबा कुल (है. में)	विशेष विवरण
1	वादीगण सतनाम सिंह व गुरमीत कौर	M.N.15 P.N. 256/380	किला नं.-5 का 0.085, 6, 15, 16, 21, 22, 23, 24 25 प्रत्येक का 0.253 हैक्टियर कमाण्ड	2.109	-
2	प्रतिवादी सं.-1 सुखराज कौर	M.N.15 P.N. 256/380	किला नं.-3 का 0.169, 4 का 0.253, 5 का 0.168, 7 ता 8 प्रत्येक का 0.253, 13 ता 14 प्रत्येक का 0.253, 17 ता 18 प्रत्येक का 0.253 हैक्टियर कमाण्ड	2.108	-
3.	प्रतिवादी सं.-2 हरजीत सिंह	M.N.15 P.N. 256/380	किला नं.-1 व 2 का 0.253, 3 का 0.084, 9 ता 12 प्रत्येक का 0.253, 19 ता 20 प्रत्येक का 0.253 हैक्टियर कमाण्ड	2.108	-

तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती हैं एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं.- 1 व 2 के मध्य खाता विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु प्रतिवादी सं.-3 तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेश दिये जाते हैं। उक्त खाता में प्रतिवादी सं.-1 व 2 के बैंक ऋण का नोट अंकित हैं जो बाद किला विभाजन यथावत रहेगा।

यह डिक्री आज तारीख 20.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़
जिला श्रीगंगानगर